न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनियां आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/126 ए/2022

वउनवान

1. संजय पुत्र रामबाबू जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
2. आशीष पुत्र रामबाबू जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
3. सतीश कुमार पुत्र बालस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र महेशचन्द जाति ब्राहमण निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
2. सतीशचन्द गुप्ता पुत्र श्री शिवचरणलाल गुप्ता जाति वैश्य निवासी गारू हालवासी खेरली तहसील कठूमर जिला अलवर
3. सव रजिस्ट्रार कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

Signature Not Verified

दर0 212 राजस्थान काश्तका[illegible]धान

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री रूपकिशोर शर्मा – अधिवक्ता सायल

श्री धर्मसिंह मीना – अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 2

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

आदेश

दिनांक 04.01.2024

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 486 रकवा 0.71 हे. 488 रकवा 0.58 हे. 492 रकवा 0.62 हे. 497 रकवा 0.95 हे. 610 रकवा 0.37 हे. 611 रकवा 0.92 हे. 613 रकवा 1.26 हे. 614 रकवा 0.01 हे. 1182 रकवा 0.91 हे. 1209 रकवा 0.88 हे. 1210 रकवा 0.09 हे. किता 11 रकवा 6.72 हे. ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है उक्त आराजी सायलान एंव गैरसायल सं0 1–2 की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 ला0 2 के आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अव सायलान एंव गैरसायलान के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायलान ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो गैरसायलान ने साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। सायलान उक्त अवट आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है तथा अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के [illegible] डालकर अधिक उपजाउ बनाना चाहते है। गैरसाय[illegible] तकासमा के लिये मना कर दिया तथा गैरसायलान ने सायलान [illegible] दी है कि हम विवादित आराजी को राजी खुशी [illegible] आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही दीगर व्यक्तियों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।

गैरसायल सं0 1, 2 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वंटी हुई है विवादित आराजी पर सायलान एंव गैरसायलान मुताविक घरू वंटवारा काविज रहकर काश्त कर रहे है उक्त आराजी केवल शामलात खातेदारी में दर्ज है लेकिन विवादित आराजी का तकासमा हो रहा है। सायलान एंव गैरसायलान का विवादित आराजी के काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। गैरसायलान ने अपने हिस्सा की आराजी में अच्छे किस्म के खाद बीज डालकर अधिक उपजाउ बना लिया है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान [illegible] तरह की नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रथम दृष्टा [illegible] पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान [illegible] में सावित है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निर्णय दिनांक 17.09.2021 नकल आर्डर सीट दिनांक 04.05.2022 वउनवान मुकदमा संजय वगैरा बनाम संतोष वगैरा प्रार्थना पत्र खारिज कराने का प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.05.2022 नकल स्थगन आदेश दिनांक 27.05.2022 नकल जमावन्दी वाके ग्राम [illegible]खरी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज0

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की वहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान, गैरसायल सं0 1–2 की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अव गैरसायलान विवादित आराजी पर सायलान के शामलात में काश्त में बाधा पैदा करते है तथा अवट आराजी को दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 1–2 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सायलीन एंव गैरसायल सं0 1–2 की सहमति से वंटी हुई है। पक्षकारान अपने अपने हक हिस्सा व घरू वंटवारे में आई आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। मौके पर कोई विवाद नहीं है। गैरसायलान विवादित आराजी के रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिन्हें विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायल को किसी तरह का नुकसान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायल खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड तथा प्रति आदेश, स्थगन प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र खारिज कराने के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्तागण पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सावित करने के लिए जमाबन्दी हाल व न्यायालय के आदेश आर्डर सीट व प्रार्थना पत्र की छाया प्रति पेश की हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी पत्रादि के अवलोकन से विवादित आराजी सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का शामलात खातेदारी की होने का अनुमान किया जाता है। गैरसायलान विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। यदि गैरसायलान को पाबन्द कर दिया गया तो उन्हें नुकशान व क्षति होना संभव है। सायलान को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहे है। प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.05.2022 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सुनील कुमार [illegible]नियां
उपखण्ड अधिकारी [illegible] (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 04.01.2024 को यह आदेश मेरे द्वारा [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुनील कुमार [illegible]नियां
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)